उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

संख्या जी-2–573/दस-2009-216-79

लखनऊ, दिनांक 24 मार्च, 2009

कार्यालय-ज्ञाप

विषय–बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शर्तों का निर्धारण।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या जी 2–2017/दस-2008-216-79, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के अनुसार महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश अनुमन्य कराया गया है। संदर्भगत अवकाशों की स्वीकृति के सम्बन्ध में शर्तें निम्नवत् हैं :–

बाल्य देखभाल अवकाश

(I) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकेगा। कोई कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।

(II) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जायेगा और उसी तरह स्वीकृत किया जायेगा।

(III) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जायेगा।

(IV) बाल्य देखभाल अवकाश तभी अनुमन्य होगा जब सम्बन्धित महिला कर्मचारी के लेखे में उपार्जित अवकाश अवशेष न हो।

दत्तक ग्रहण अवकाश

(1) ऐसे महिला राजकीय सेवक जिनके दो से कम बच्चे जीवित हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक का बच्चा गोद लिया गया हो, को सामान्य माताओं को प्रदत्त प्रसूति अवकाश की भांति 180 दिन के दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) की सुविधा प्रदान की जायेगी। प्रसूति अवकाश एवं दत्तक ग्रहण अवकाश की बढ़ी हुयी अवधि का लाभ उन महिला कर्मचारियों को भी देय होगा जो दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 को प्रसूति अवकाश का उपभोग कर रही थी।

(2) महिला सरकारी सेवक को उक्त अवकाश अवधि के दौरान वह पूर्ण वेतन देय होगा जो वह अवकाश पर जाने के दिनांक को आहरित कर रही हो।

(3) दत्तक ग्रहण अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाया जा सकता है।

(4) दत्तक ग्रहण अवकाश के निरन्तरता में महिला सेवकों को यदि आवेदन किया जाता है, तो कानूनी तौर पर गोद लिये जाने के दिनांक को बच्चे की आयु घटाते हुये अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक का उसे देय एवं अनुमन्य अन्य अवकाश, बिना दत्तक ग्रहण अवकाश की अवधि को जोड़े, निम्न प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत किया जा सकेगा :–

(क) यदि किसी महिला सेवक को गोद लेने के समय दो या अधिक जीवित बच्चे हों तो यह अवकाश उसे स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ख) उपरोक्त एक वर्ष तक की अवधि के अवकाश की गणना निम्न उदाहरण के अनुसार होगा :–

(च) दत्तक ग्रहण अवकाश पर बच्चे की आयु एक माह से कम होने पर एक वर्ष तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(छ) बच्चे की आयु छः माह या अधिक परन्तु सात माह से कम होने पर छः माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(ज) बच्चे की आयु नौ माह या अधिक परन्तु दस माह से कम होने पर तीन माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(5) दत्तक ग्रहण अवकाश को छुट्टी के लेखे के नाम नहीं लिखा जायेगा।

2–जिन महिला कर्मचारियों को शर्तो के अभाव में शासनादेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के अनुपालन में बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है उनके बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश को उन्हें देय उपार्जित अवकाश में परिवर्तित माना जायेगा।

3–शासनादेश संख्या जी-2–2017/दस-2008-217-79, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4–उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

5–संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

आज्ञा से,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या जी-2—573(1)/दस-2009—216-79, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2—महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6—वित्त पद माप दण्ड निर्धारण अनुभाग।

आज्ञा से,
वी0 एन0 दीक्षित,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 152 सा० वित्त—26—3—2009—(2362)—10,000 प्रतियां—(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

J-1716
19.12.08

X - प्रसूति अवकाश | 48

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
संख्या-जी-2-2017 / दस-2008-216 / 79
लखनऊ: दिनांक: 08 दिसम्बर, 2008

उ० प्र० पुलिस मुख्यालय
16 DEC 2008
द्वारा विशेष वाहक

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:-प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि तथा बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4-394 / दस-99-216 / 79, दिनांक 04-6-1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था। वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर प्रसूति अवकाश की अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की उम्र 18 वर्ष होने की अवधि तक महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य कराने की व्यवस्था प्रसूति अवकाश के संबंध में लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए की गयी है। यह दोनों व्यवस्थायें गोद ली गयी संतान के मामले में भी उसी प्रकार लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2- अतः श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04-6-1999 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-153(1) के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक, लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, प्रसूति अवकाश, अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने तथा विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह दोनों व्यवस्थायें (प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश) गोद ली गयी संतानों के मामलों में भी लागू होगी।

3- उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों (यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई०, आई०सी०ए०आर० वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी।

1952
X
III-A

4- उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत् प्रभावी रहेंगीं।

5- उपर्युक्त आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होगें।

6- संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

अपर पुलिस महानिदेशक
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद।
16/12/08

अनूप मिश्र
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

--2--

संख्या-जी-2-2017(1)/दस-2008-216/79,तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1-- महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-- महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3-- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4-- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

5-- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

6-- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, लखनऊ।

7-- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8-- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)

9-- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।

अध्याय 13

प्रसूति अवकाश

उत्तर प्रदेश मूल नियम 101 के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियम

[1] 153—किसी महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, प्रसूति अवकाश ऐसे पूर्ण वेतन पर जो वह इस प्रकार के अवकाश पर जाने के दिनांक का आहरित कर रही हो विभागाध्यक्ष द्वारा या किसी प्राधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त शक्ति प्रत्योजित की जाये निम्नलिखित के अधीन रखते हुए, स्वीकृत किया जा सकता—

1—प्रसवावस्था के मामलों में, प्रसूति अवकाश अवधि अवकाश के प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास तक हो सकती है।

परन्तु ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा :—

परन्तु यह भी कि यदि महिला सेवक के दो या अधिक जीवित बच्चे हों तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा भले ही उसे ऐसा अवकाश अन्यथा अनुमन्य हो। फिर भी यदि महिला सरकारी सेवक के दो जीवित बच्चों में से कोई भी बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या विकलांग या अपंग हो या बाद में किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाये या विकलांग हो जाये तो उसे अपवाद के रूप में, इस शर्त पर कि प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, एक बच्चा और पैदा होने तक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

परन्तु यह और कि ऐसा अवकाश तब तक अनुमन्य नहीं होगा। जब तक कि इस नियम के अधीन स्वीकृत पिछले प्रसूति अवकाश की समाप्ति के दिनांक से कम से कम दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाये।

2. गर्भपात के मामलों में, जिसके अन्तर्गत स्राव भी है, प्रसूति अवकाश की अवधि सम्बन्धित महिला सरकारी सेवक जीवित बच्चों की संख्या का ध्यान दिये बिना प्रत्येक अवसर पर छः सप्ताह तक हो सकती है, बशर्ते कि अवकाश के आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सक प्रमाण पत्र हो।

टिप्पणी : 1—निकाल दी गयी।

टिप्पणी : 2—ऐसे व्यक्ति की स्थिति में, जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्ध लागू हों, इस नियम के अधीन देय अवकाश वेतन से उक्त अधिनियम के अधीन समान अवधि के लिए अनुमन्य लाभ की धनराशि को कम कर दिया जायेगा।

टिप्पणी : 3—गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अधीन उत्प्रेरित गर्भस्राव का मामला समझा जाना चाहिये।

शासनादेश सं० सी-4-1205/दस/81 216/1979 दिनांक जुलाई 1981 द्वारा वित्त सामान्य अनुभाग-4 ने वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 से 4 के सहायक नियम 153 तथा 154 में आवश्यक संशोधन के आदेश प्रसारित किये जो निम्नलिखित हैं :—

शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-1753/दस 78-216-65,टी० सी०, दिनांकित 20 जून, 1978 द्वारा महिला सरकारी सेवकों को स्वीकार किये जाने वाले प्रसूति अवकाश संबंधी नियमों का उदार किया गया था और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 2 भाग 2 से 4 के सहायक नियम 153 तथा 154 में आवश्यक संशोधन के आदेश प्रसारित किये गये थे। उक्त आदेशों और नियमों के अन्तर्गत अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन बार तक प्रसूति अवकाश स्वीकार किया जा सकता है।

---

1. अधिसूचना सं० सी-4-484/दस-90-216-79 दिनांक 3-5-1990 द्वारा प्रतिस्थापित।

2—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप, दिनांकित 20 जून, 1978 के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो से अधिक बच्चे जीवित हों तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकार नहीं किया जायेगा, भले ही उसे अन्यथा ऐसा अवकाश देय हो। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक की जीवित दोनों सन्तानों में से कोई सन्तान जन्म से ही विकलांग/अपंग हो अथवा बाद में किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो जावे तो ऐसी स्थिति में उसे सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन बार की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए एक और बच्चा होने तक प्रसूति अवकाश अपवाद स्वरूप स्वीकृत किया जा सकता है।

3—उक्त आदेश इस कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के दिनांक से लागू होंगे, किन्तु जिन मामलों में इससे पहले वर्तमान नियमों के अन्तर्गत प्रसूति अवकाश स्वीकार किया जा चुका है उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

154. प्रसूति छुट्टी को छुट्टी के लेखे के नामे नहीं लिखा जायेगा और उसे किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है किन्तु प्रसूति छुट्टी के क्रम में प्रार्थित कोई भी छुट्टी तभी स्वीकृत की जा सकती है जब प्रार्थना-पत्र के समर्थन में चिकित्सा प्रमाण-पत्र हो।

टिप्पणी 1—प्रसूति छुट्टी के क्रम में छुट्टी देने के लिए प्रार्थना-पत्र देने वाली किसी महिला राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को चाहिये कि वह उन समस्त राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के समान जो चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी के लिए प्रार्थना-पत्र देते हैं, सहायक नियम 89-92 के अनुसार किसी चिकित्सा समिति का अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे, जब तक कि छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा सहायक नियम 93 के अधीन उसे छूट न दे दी जाये।

टिप्पणी 2—प्रसूति छुट्टी के क्रम में नियमित छुट्टी भी नवजात शिशु की बीमारी की दशाओं में इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुये स्वीकृत की जा सकती है कि महिला सरकारी कर्मचारी, प्राधिकृत चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि बीमार शिशु को उसकी माता की व्यक्तिगत देख-भाल की आवश्यकता है और शिशु के पास उसकी उपस्थिति नितांत आवश्यक है।

टिप्पणी 3—अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की दशा में, नियम 153 और 154 के अधीन स्वीकृत की गई छुट्टी की अवधि उनकी नियुक्ति जारी रहने की सम्भावित अवधि से अधिक न होगी।

154. Maternity leave shall not be debited against the leave account and may be combined with leave of any other kind, but any leave applied for in continuation of maternity leave may be granted only if the request is supported by a medical certificate.

Note 1. A female gazetted government servant applying for grant of leave in continuation of maternity leave, should, like all gazetted government servants applying for leave on medical certificate produce the required certificate from a medical committee in accordance with Subsidiary Rules 89-92, unless this requirement is relaxed under Subsidiary Rule 93 by the authority competent to grant leave.

154. Maternity leave shall not be debited against the leave account and may be combined with leave of any other kind.

Note 1. Deleted.

स्तम्भ 1

Note 2. Regular leave in continuation of maternity leave may also be granted in case of illness of a newlyborn baby subject to the female government servant producing a medical certificated from the Authorised Medical Attendant to the effect that the ailing baby warrants the mother's personal attention and that her presence at the baby's side is absolutely necessary.

Note 3. In the case of temporary government servants the leave granted under Rule 153 and 154 shall not extend beyond the period the appointment is likely to last.

स्तम्भ 2

Note 2. Regular leave in continuation of maternity leave may also be granted in case of illness of a newlyborn baby subject to the female government servant producing a medical certificated from the Authorised Medical Attendant to the effect that the ailing baby warrants the mother's personal attention and that her presence at the baby's side is absolutely necessary.

Note 3. In the case of temporary government servants the leave granted under Rule 153 and 154 shall not extend beyond the period the appointment is likely to last.